पत्रांक : 5/वि.1-80/2015.......2013

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

के० पी० सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक : 12/10/2015

विषयः- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिए नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि I.A. No. 08 in WP(C) No. 276/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.06.13 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ निदेशालीय पत्रांक-1177 दिनांक-25.07.2013 द्वारा विश्वविद्यालयों को निदेशित किया गया था कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित बी० एड० महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए नवसंबंधन/अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान करते हुये उस पर विभाग से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ले।

2. निदेशालीय पत्रांक-1177 दिनांक-25.07.2013 द्वारा दिए गए निदेश अनुरूप प्रस्ताव नहीं भेजने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा I.A. No. 08 in WP(C) No. 276/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.06.13 को पारित आदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हो पाने के कारण सत्र 2014-15 के लिए संबंधन की स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान नहीं की जा सकी थी।

3. WP(C) No. 3977/2015 एवं अन्य वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश पर विचारोपरांत निम्नांकित महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण की घटनोत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान की जाती है।

क्र0	महाविद्यालय का नाम	वाद संख्या	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	शैक्षणिक सत्र जिसके लिए नवसंबंधन/अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण पर अनुमोदन दिया जा रहा है।
1	2	3	4	5
1.	ब्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन, झुमरीतिलैया, कोडरमा।	WP(C) No. 3327/2015	Esstt/1608/2013 dt. 12.09.13	शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए संबंधन दीर्घीकरण
2.	राजीव गाँधी टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, डिगवाडीह, धनबाद	WP(C) No. 3335/2015	Esstt/1609/13 dt. 12.09.13	शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए संबंधन दीर्घीकरण
3.	राम कृष्ण विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह	WP(C) No. 3329/2015	Esstt/1606/13 dt. 12.09.13	शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए संबंधन दीर्घीकरण

2013
12/10/2015

4.	तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरवाड्डा, धनबाद	WP(C) No. 3328/2015	Esstt/1621/13 dt. 12.09.13	शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए संबंधन दीर्घीकरण
5.	राम शोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन,चुटुपालु, रामगढ़	WP(C) No. 4076/2015	Esstt/1736/13 dt. 03.10.13	शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए संबंधन दीर्घीकरण

4 शर्तें -

(क) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर के जिस आदेश के द्वारा संबंधित संस्था को प्रस्वीकृति प्रदान की गयी हैं, उनमें निहित सभी शर्त्तों को महाविद्यालय सतत् पूरा करता रहेगा।

(ख) एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा और उसके उपरांत ही विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देगा।

(ग) छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०ई०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए। विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि विभागीय संकल्प 1382 दिनांक- 20.05.04 एवं इस संदर्भ में निर्गत अनुवर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया को महाविद्यालय पूरा करता है तथा नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करता है।

(घ विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि महाविद्यालय को एन०सी०टी०ई० द्वारा प्रस्वीकृति एवं राज्य सरकार के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, संबंधन हेतु अधिसूचना निर्गत करेगा।

(ङ.) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि कोई भी B.Ed कॉलेज यदि निर्धारित योग्यताओं व मानकों का पूर्ण पालन नहीं कर रहा हो तो उसकी मान्यता रद्द करने हेतु एन०सी०टी०ई० से सीधे अनुरोध किया जाए।

विश्वासभाजन,

(के० पी० सिंह)
सरकार के उप सचिव।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक: वि०भा०वि० / स्था० / 3805 / 2015 — दिनांक 14.10.2015

प्रतिलिपि:

1. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य / सचिव।
2. सरकार के उपसचिव, उच्च एवं तकनिकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
5. स्थापना प्रभारी, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
6. निजी सहायक कुलपति / प्रतिकुलपति / वित्तीय सलाहकार / कुलसचिव के सूचनार्थ।

14/10/15
कुलसचिव
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग।

Ranjit/Letter14/610-611/14102015

P.N. Ram
14/10/15

VINOBA BHAVE UNIVERSITY
HAZARIBAG – 825 301
Post Box No. – 31

Phone Nos. V.C- 264279 (O), 262342 (R), P.V.C- 264724 (O), 262301 (R), Registrar-270982 (O), 267272 (R)
C.E –263330 (O), 262387 (R), F.O. 270983 (O)
FAX-06546-267875, 270982 (O), 264066 (R)

Ref. No. VBU/ESSTT/1609/2013 Date 12.09.13

प्रेषक — कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय
हजारीबाग।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा,
रांची।

विषय : राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सत्र 2014-15 से स्थायी संबधन / ~~संबंधन दीर्घीकरण~~ / ~~नवसंबंधन~~ प्रदान करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति हेतु।

पत्रांक : पत्रांक 5/स 1—03/2010 1177 रांची दिनांक 25.07.13

महोदय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सत्र 2014-15 से स्थायी संबधन / ~~संबंधन~~ दीर्घीकरण / ~~नवसंबंधन~~ प्रदान कर दी गई है।

अतः इस संबध में आपका घटनोत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

(सतीशवर प्रसाद सिन्हा)
कुलसचिव

निदेशक कार्यालय
(उच्च शिक्षा)
झारखण्ड, राँची
प्रेषण सं० 4985
तिथि 22/X/13

D:\Birendra Kr\Esstt. Section\Tiwariji.docx/ 211

VINOBA BHAVE UNIVERSITY
HAZARIBAG - 825 301
Post Box No. - 31
Phone Nos. V. C.-264279 (O), 262342 (R), P. V. C.-264724 (O), 262301 (R), Registrar-264628 (O), 270757 (R) C. E.-263330 (O), 270387 (R), F. O.-265997 (O)
Fax-06546-264279 (O), 262342 (R), 264628 (O), 263330 (O)

Ref. No. VBU/ ESSTT/1236/2013 Date 27.07.13

Regd.

प्रेषकः कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग।

सेवा में,

राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
12, डीगवाडीह, पोस्ट– पाथरडीह,
धनबाद।

विषयः राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सत्र 2014–15 से स्थायी संबंधन के संबंध में।

महाशय,

मानव संसाधन विकास विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5/स. 1–03/2010 1177, राँची दिनांक 25.07.2013 के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर के पत्रांक ERC/7.93.6(11).14/2009/15784 दिनांक 23.03.2009 के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, अभिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2013 के मद संख्या– 575/104/01 के अनुशंसा के अनुसार राजीव गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2014–15 से निम्न शर्त्तों के साथ वित्त रहित स्थायी संबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि NCTE द्वारा निर्धारित 200 शिक्षक दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी शामिल है, का पालन हो।
(2) महाविद्यालय/संस्थान NCTE के द्वारा निर्धारित Norms यथा– भूमि, भवन एवं अन्य मानकों को पूरा करेगा।
(3) छात्रों के नामांकन में NCTE, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन करेगा।
(4) महाविद्यालय में नियुक्तियाँ विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।
(5) महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पाये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।
(6) महाविद्यालय परिसर में शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा अन्य कोई संस्थान संचालित नहीं होगा।
(7) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गए शर्त्तों को महाविद्यालय पूरा करेगा।
(8) यदि शिक्षक समूहों प्राचार्य सहित में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय एवं NCTE को सूचित करना होगा।
(9) विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग समय–समय पर उपर वर्णित मानकों का अनुपालन संबंधित निरीक्षण करता रहेगा तथा कमी पाये जाने पर कार्रवाई करने को बाध्य होगा।
(10) यदि NCTE द्वारा आपके महाविद्यालय का संबंधन समाप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

विश्वासभाजन,

27/7/13

(सतीश्वर प्रसाद सिन्हा)
कुलसचिव

Ranjit/letters/

3
27/7/13